भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3473

दिनांक 23.03.2026 को उत्तर के लिए नियत

प्रारंभिक चरण के उद्यमों के लिए सहायता योजनाएँ

3473. श्री कार्तिकेय शर्माः

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पीएमईजीपी, मुद्रा और अन्य प्रारंभिक चरण के उद्यमों के लिए पात्रता, ऋण की सीमा, स्वीकृति की समय-सीमा और लाभार्थियों की जानकारी सहित पिछले तीन वर्षों को दौरान समर्थित योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने यह अध्ययन किया है कि पहली बार उद्यम शुरू करने वाले युवा उद्यमियों को छोटे स्टार्टअप के लिए पूंजी (₹50,000-₹5 लाख) की सुलभता में संपार्श्विक, क्रेडिट इतिहास की कमी और स्वीकृति में विलंब के कारण किन-किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और यह योजनाएँ किस प्रकार इस निधीयनगत अंतर को पाटने का काम करती है; और

(ग) क्या सूक्ष्म उद्यम शुरू करने वाले युवा और छात्र संस्थापकों के लिए सरलीकृत अनुपालन, मार्गदर्शन अथवा हैंडहोल्डिंग संबंधी समर्थन प्रस्तावित किया गया है, यदि हाँ, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क): प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) और स्टार्टअप इंडिया का विवरण नीचे दिया गया है:

i. एमएसएमई मंत्रालय, खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के माध्यम से, बैंक ऋण पर मार्जिन मनी (एमएम) सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करके गैर-कृषि क्षेत्र में, मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना करने में उद्यमियों की सहायता करने के लिए पीएमईजीपी का कार्यान्वयन कर रहा है। इसका उद्देश्य परंपरागत कारीगरों/ग्रामीण और शहरी बेरोजगार युवाओं को उनके स्थान पर ही स्थायी रोजगार के अवसर प्रदान करना है।

 (क) 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति पीएमईजीपी के अंतर्गत सहायता के लिए आवेदन कर सकता है। विनिर्माण क्षेत्र में 10 लाख रु. या सेवा क्षेत्र में 5 लाख रुपये से अधिक लागत वाली परियोजनाओं के लिए, आवेदकों के पास कम से कम आठवीं कक्षा उत्तीर्ण शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। एक परिवार से केवल एक ही सदस्य पीएमईजीपी के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र है। सरकारी कर्मचारियों को स्कीम के अंतर्गत लाभ उठाने की अनुमति नहीं है।

 (ख) पीएमईजीपी के अंतर्गत स्वीकार्य परियोजना की अधिकतम लागत विनिर्माण क्षेत्र के लिए 50 लाख रु. और सेवा क्षेत्र के लिए 20 लाख रु. है।

 (ग) मौजूदा स्कीम दिशानिर्देशों के अनुसार, संबंधित कार्यान्वयन एजेंसी (आईए) द्वारा इसकी प्राप्ति की तिथि से लेकर वित्तपोषण बैंकों को आगे जारी करने के लिए नोडल बैंक को एमएम सब्सिडी जारी करने तक पीएमईजीपी आवेदन की कुल अनुमोदन समय-सीमा 84 दिन है।

 (घ) विगत तीन वर्षों अर्थात वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, लगभग 2.34 लाख सूक्ष्म उद्यमों को पीएमईजीपी के अंतर्गत सहायता प्रदान की गई है।

ii. पीएमएमवाई की शुरुआत दिनांक 08.04.2015 को की गयी थी, जिसके अंतर्गत सदस्य ऋणदाता संस्थानों (एमएलआई) अर्थात अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी), गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और सूक्ष्म वित्तपोषण संस्थाओं (एमएफआई) द्वारा गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि छोटे उद्यमियों को संपार्श्विक मुक्त संस्थागत ऋण प्रदान किया जाता है।

क) कोई भी व्यक्ति, जो अन्यथा ऋण लेने के लिए पात्र है और उसके पास लघु व्यवसाय उद्यम के लिए व्यवसाय योजना है, विनिर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्रों में आय सृजन कार्यकलापों और कृषि से संबद्ध गतिविधियों के लिए स्कीम के अंतर्गत चार ऋण श्रेणियों अर्थात शिशु (50,000/- रुपये तक का ऋण), किशोर (50,000/- रुपये से अधिक और 5 लाख रुपये तक का ऋण), तरूण (5 लाख रुपये से अधिक और 10 लाख रुपये तक का ऋण) और तरूण प्लस (10 लाख रुपये से अधिक और 20 लाख रुपये तक का ऋण) में 20 लाख रुपये तक का ऋण प्राप्त कर सकता है।

ख) पीएमएमवाई के अंतर्गत, विगत तीन वर्षों अर्थात् अप्रैल, 2022 से मार्च, 2025 के दौरान देश भर में कुल 18.37 करोड़ ऋण दिए गए हैं।

iii. देश के स्टार्टअप पारितंत्र में नवाचार, स्टार्टअप को बढ़ावा देने और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एक सुदृढ़ पारितंत्र बनाने हेतु 16 जनवरी, 2016 को स्टार्टअप इंडिया पहल शुरू की गई थी। स्टार्टअप इंडिया पहल के अंतर्गत, सरकार ने देश में एक जीवंत स्टार्टअप पारितंत्र बनाने हेतु स्कीमों और प्रोत्साहनों से युक्त स्टार्टअप के लिए एक कार्य योजना का अनावरण किया।

क) सा.का.नि. अधिसूचना 127 (अ.) दिनांक 19 फरवरी, 2019 के अंतर्गत निर्धारित पात्रता शर्तों के अनुसार, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा स्टार्टअप इंडिया पहल के अंतर्गत संस्थाओं को 'स्टार्टअप' के रूप में मान्यता दी जाती है।

ख) स्टार्टअप इंडिया पहल के अंतर्गत, सरकार तीन प्रमुख स्कीमों, स्टार्टअप्स के लिए निधियों का कोष (एफएफएस), स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (एसआईएसएफएस), और स्टार्टअप्स के लिए ऋण गारंटी स्कीम (सीजीएसएस) का कार्यान्वयन कर रही है ताकि वित्त-पोषण के अवसर प्रदान किए जा सकें तथा विभिन्न क्षेत्रों में स्टार्टअप्स को उनके व्यापार चक्र के विभिन्न चरणों में सहायता प्रदान की जा सके।

ग) एफएफएस के अंतर्गत, 31 जनवरी, 2026 की स्थिति के अनुसार, वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) द्वारा 12,362.70 करोड़ रु. प्रतिबद्ध (सकल प्रतिबद्धताएं) और रु. 6,829.47 करोड़ रुपये का संवितरण/निकासी की गई है। एसआईएसएफएस के अंतर्गत, 31 जनवरी, 2026 की स्थिति के अनुसार, 945 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये हैं तथा चयनित इनक्यूबेटरों को 575 करोड़ रुपये संवितरित किए गए हैं। सीजीएसएस के अंतर्गत, 31 जनवरी, 2026 तक, स्टार्टअप उधारकर्ताओं के लिए 925.90 करोड़ रुपये की राशि की ऋण गारंटी दी गई है।

(ख): पहली बार के युवा उद्यमियों को स्टार्टअप पूंजी की उपलब्धता में संपार्श्विक की कमी, कोई ऋण इतिहास नहीं, और स्वीकृति में विलंब इत्यादि जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए सहायता प्रदान करने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए गए गए हैं, ताकि निधीयनगत अंतर को पाटा जा सके:

i. सरकार, एमएसई को संपार्श्विक मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) के माध्यम से सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए ऋण गारंटी स्कीम (सीजीएस) का कार्यान्वयन कर रही है। स्कीम के अंतर्गत गारंटी कवरेज की सीमा 10 करोड़ रु. है, जिसमें गारंटी की सीमा 75% से 90% तक होती है।

ii. एमएसएमई को ऋण प्रदान करने हेतु आरबीआई के मास्टर दिशानिर्देशों के अनुसार, 20 लाख रुपये तक के ऋण वाली परियोजनाओं के लिए बैंकों द्वारा किसी भी संपार्श्विक प्रतिभूति पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, एमएसई उधारकर्ताओं की इकाइयों को ₹25 लाख तक के ऋणों के लिए क्रेडिट निर्णय की समयसीमा को अधिकतम 14 कार्य दिवसों तक अपडेट किया गया है।"

(ग): पीएमईजीपी और स्टार्ट अप इंडिया के अंतर्गत अनुपालन को सरल बनाने और परामर्श एवं पथ-प्रदर्शन सहायता प्रदान करने के लिए उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं:

i. भावी लाभार्थियों को चिन्हित करने और आवेदन प्रक्रिया के दौरान आवश्यक मार्गदर्शन एवं पथ-प्रदर्शन सहायता प्रदान करने के लिए पिछड़े और कम प्रदर्शन वाले क्षेत्रों, आकांक्षी जिलों, पूर्वोत्तर क्षेत्र आदि सहित सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में जागरूकता और आउटरीच कार्यक्रम।

ii. आवेदकों को वास्तविक समय पर सहायता प्रदान करने के लिए राज्य/मंडल कार्यालयों में पीएमईजीपी हेल्पडेस्क की स्थापना करना।

iii. हिंदी और अंग्रेजी को छोड़कर 19 क्षेत्रीय भाषाओं में लाभार्थियों से वास्तविक रूप में पीएमईजीपी आवेदन स्वीकार करना।

iv. विनिर्माण क्षेत्र में 10 लाख रुपये तक और सेवा क्षेत्र में 5 लाख रु. तक की लागत वाली परियोजनाएं स्थापित करने के लिए पीएमईजीपी के अंतर्गत किसी शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है। ।

v. भावी पीएमईजीपी उद्यमियों के लिए उद्यमिता विकास कार्यक्रम और वेबिनार आयोजित करना, जिसका उद्देश्य उनके प्रबंधकीय, तकनीकी और व्यावसायिक कौशल को विकसित करना और सुधारना है।

vi. विभिन्न उद्योगों पर 1,000 से अधिक मॉडल विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की एक विस्तृत श्रृंखला तैयार की गई है और इसे पीएमईजीपी ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध कराया गया है।

vii. स्टार्टअप महाकुंभ जैसी पारितंत्र-आधारित पहलों को सहायता प्रदान करना, जो हितधारकों को नेटवर्क और सहयोग प्रदान करने के लिए एक जीवंत मंच के रूप में कार्य करता है।
